संख्या–887 / एक–10–2021–33(221) / 2011टीसी–3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 29 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड–19 महामारी के उपचार के लिए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक– 1213(क)/पांच–6–2021, दिनांक 28.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किया जाना गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–33–04/2020–एनडीएम–1, दिनांक 15.04.2021 द्वारा अनुमन्य किये गये मदों के क्रम संख्या–2(सी) से आच्छादित है।

2– **उक्त स्थिति में प्रदेश के समस्त 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किये जाने पर सैद्वांतिक सहमति प्रदान करते हुए यह अनुरोध है कि कृपया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किये जाने हेतु क्रयादेश निर्गत किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।**

3– इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य आपदा मोचक निधि से प्रथमतः रू0 10,00,00,000/– (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि, अग्रिम रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/वित्तीय नियमों तथा प्रकियाओं का अनुपालन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुयी हो।

(2)ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किये जाने का क्रयादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3)राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4)निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5)राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(5)उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(6)व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

4- **उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।**

भवदीया,

29/4/21

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः-887(1)/एक-10-2021,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
6- चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
8- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

29.4.2021

(रणवीर प्रसाद)

सचिव।

संख्या–892 / एक–10–2021–33(221) / 2011टीसी–3

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ: दिनांक: 30 अप्रैल, 2021

राजस्व अनुभाग–10

विषयः– कोविड–19 महामारी के उपचार के लिए समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–10 के पत्र संख्या–887 / एक–10–2021–33(221) / 2011 टीसी–3 दि0 29.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर क्रय किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य आपदा मोचक निधि से प्रथमतः रू0 10,00,00,000 / – (रूपये दस करोड मात्र) की धनराशि, अग्रिम रूप से अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखा गया है।

2– विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–1218 / पांच–6–2021, दिनांक 30.04.2021 द्वारा किए गए अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त राजस्व अनुभाग–10 के पत्र संख्या–887 / एक–10–2021–33(221) / 2011 टीसी–3 दि0 29.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अग्रिम रूप से स्वीकृत धनराशि रू0 10,00,00,000 / – (रूपये दस करोड़ मात्र) **अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जाती है।**

3– शासनादेश संख्या–887 / एक–10–2021–33(221) / 2011 टीसी–3 दि0 29.04.2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दि0 29.04.2021 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–892(1) / एक–10–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार लेखा / ऑडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
5– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6– [illegible]
7– [illegible] राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
8– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–[illegible]।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)
विशेष सचिव।